राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी–स्कीम, जयपुर
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com.com

क्रमांकः–मो.प्र./DLB/कोरोना/कन्ट्रोल/2020/780 जयपुर, दिनांकः–30/9/2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका समस्त
आयुक्त/सचिव
विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास समस्त

विषयः– कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन अभियान के प्रचार प्रसार के लिये बनाये जाने वाले स्टीकर एवं मास्क पर प्रिन्ट किये जाने वाले लोगों की CDR File and PDF file भिजवाये जाने के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर 2020 से प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव के लिये राज्य स्तरीय कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में प्रारम्भ किया जा रहा हैं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया हैं कि समस्त नगरीय निकाय अपने–अपने स्तर पर स्वीकृत डिजाईन के स्टीकर का प्रकाशन करवायेगें (संलग्न CDR file and PDF file) एवं मास्क तैयार करवायेगें, मास्क पर प्रिन्ट किये जाने वाले Logo की (CDR file and PDF file) संलग्न कर भिजवायी जा रही हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता हैं कि 2 अक्टूबर से पूर्व स्टीकर एवं मास्क आवश्यक रूप से आवश्यकतानुसार तैयार करवा लेवें। कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जयपुर में 2 अक्टूबर 2020 को, एवं अन्य समस्त जिलों में जिला प्रभारी 3 अक्टूबर 2020 को शुभारम्भ करेगें। जिसमें स्टीकर एवं मास्क का वितरण किया जायेगा। इस दौरान किये गये कार्यो की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी ई–मेल janandolan.covid19@gmail.com पर तथा अन्य सूचनाएं प्रतिदिन गूगल ड्राईव पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांकः–मो.प्र. / DLB / कोरोना / कन्ट्रोल / 2020 /   जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव समस्त।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त, जन संपर्क विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव